डा0 आशीष कुमार गोयल
आई.ए.एस.
अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश
पावर कार्पोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

सं0: 330/रेस्पो/क्वालिटी सेल

दिनांकः 18 मार्च, 2026

विषयः— वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता को कम करने व उत्तरदायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
विद्युत वितरण निगम लि0,
पूर्वांचल—वाराणसी/मध्यांचल—लखनऊ,
दक्षिणांचल—आगरा/पश्चिमांचल—मेरठ,
केस्को—कानपुर।

उपरोक्त विषयक अवगत हैं कि कारपोरेशन स्तर से समय—समय पर दिशा—निर्देश निर्गत करते हुए समस्त वितरण निगमों को वितरण परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता दर में कमी लाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया है। क्षतिग्रस्तता में कमी लाने के दृष्टिगत 100 के0वी0ए0 क्षमता तक के वितरण परिवर्तकों पर Fuse Set एवं 100 के0वी0ए0 से अधिक क्षमता के वितरण परिवर्तकों पर Tailless Unit स्थापन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया गया है। साथ ही 100 के0वी0ए0 व उससे कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर शत—प्रतिशत् फ्यूज सेट लगाने हेतु सभी डिस्काम को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाईनों, उपकेन्द्रों एवं परिवर्तकों के प्री—मॉनसून तथा पोस्ट—मॉनसून अनुरक्षण कार्यों हेतु प्रत्येक वर्ष दो बार "अनुरक्षण माह" भी मनाया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त परिवर्तक क्षतिग्रस्तता में कमी लाने हेतु निरंतर अनुश्रवण करने एवं अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के सम्बन्ध में पूर्व में कारपोरेशन पत्र सं0—30/रेस्पो/क्वालिटी सेल दिनांक 05.01.2024 के माध्यम से उत्तरदायी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। किन्तु इसके उपरान्त भी वितरण परिवर्तकों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति बनी हुई है। स्पष्ट है कि परिवर्तकों की क्षतिग्रस्तता कम करने हेतु अधिक परिश्रम व अनुश्रवण किये जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त के आलोक में वितरण परिवर्तक के क्षतिग्रस्त होने पर सम्बन्धित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तकों की मरम्मत पर होने वाले व्यय की recovery हेतु निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है :—

क्षमता	मरम्मत व्यय का अभियन्ता–वार उत्तरदायित्व			
	अवर अभियन्ता	उपखण्ड अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
10 के0वी0ए0 से 63 के0वी0ए0 तक	मुख्य उत्तरदायित्व (50%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (20%)	–
100 के0वी0ए0 से 250 के0वी0ए0 तक	मुख्य उत्तरदायित्व (40%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (40%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (20%)	–
400 के0वी0ए0 से 1000 के0वी0ए0 तक	मुख्य उत्तरदायित्व (30%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व (30%)	प्रशासनिक उत्तरदायित्व (10%)

उक्त रिकवरी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा नियम–10 का नोटिस जारी करके नियमानुसार अग्रेतर आदेश जारी किये जायेंगे।

चूँकि सभी क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर शत–प्रतिशत् फ्यूज सेट/टेललेस यूनिट लगाने हेतु सभी डिस्काम को निर्देशित किया गया है। अतः अपेक्षित है कि वितरण ट्रांसफार्मरों को डैमेज से बचाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायें तथा जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी जाये।

18/3/26

(डा0 आशीष कुमार गोयल)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वितरण), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्याँचल–लखनऊ/दक्षिणाँचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्याँचल–लखनऊ/दक्षिणाँचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्याँचल–लखनऊ/ दक्षिणाँचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता (वितरण), विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल–वाराणसी/मध्याँचल–लखनऊ/ दक्षिणाँचल–आगरा/पश्चिमांचल–मेरठ/केस्को–कानपुर।